संख्या:16/2018/368/35-4-2018

प्रेषक,

आर.एन.एस.यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 26 मार्च,2018

विषय : वर्ष 2017-18 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद रामपुर में शासनादेश संख्या-131/2015/439/35-4-2015 दिनांक 24 मार्च,2015 के द्वारा 02 कार्यों की रू. 8217.97 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू.1643.59 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। तत्पश्चात शासनादेश संख्या-140/2016/622/35-4-2016 दिनॉक 18 अप्रैल,2016 द्वारा लालपुर से टाण्डा मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की द्वितीय किश्त के रूप में रू. 1112.40 लाख तथा शासनादेश संख्या-190/2016/758/35-4-2016 दिनॉक 12 मई,2016 द्वारा मुरादाबाद-टाण्डा-दढियाल-बाजपुर मार्ग का सुदृढ़ीकरण कार्य की द्वितीय किश्त के रूप में रू. 2000.00 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई। तदोपरान्त शासनादेश संख्या-298/2016/1184/35-4-2016 दिनॉक 11 अगस्त, 2016 द्वारा उक्त दोनो कार्यों हेतु तृतीय किश्त के रूप में कुल रू. 3050.88 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। इस प्रकार उक्त दोनों कार्यों हेतु कुल मिलाकर अब तक रू. 7806.87 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई है। जिलाधिकारी रामपुर के पत्र संख्या-1156/त्व0आ0वि0-2/2017-18 दिनांक 16 मार्च,2018 द्वारा उपलब्ध करायी गई जॉच आख्या के अनुसार उक्त कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक बतायी गयी है। मुख्य अभियंता, (मु0-1) लो0नि0वि0 के पत्र संख्या:9445 बी.जी./7बी.-3 त्व0आ0वि0यो0/2017-18 दिनांक 09 जनवरी,2018 द्वारा उक्त दोनों कार्यों हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग होना इंगित किया गया है। एतदद्वारा उपर्युक्त शासनादेश द्वारा स्वीकृत कार्यों हेतु अनुमोदित लागत के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुए निम्नांकित तालिका में इंगित विवरण के अनुसार रू. 411.10 लाख (रूपये चार करोड़ ग्यारह लाख दस हजार मात्र) को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(लाख रू. में)

	कार्य	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि			कुल अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
			प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त	तृतीय किश्त		
1	मुरादाबाद-टाण्डा-दढियाल-बाजपुर मार्ग का सुदृढ़ीकरण	6363.97	1272.79	2000.00	2772.78	6045.57	318.40
2	लालपुर से टाण्डा मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	1854.00	370.80	1112.40	278.10	1761.30	92.70
	योग	8217.97	1643.59	3112.40	3050.88	7806.87	411.10

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 24 मार्च,2015, 18 अप्रैल,2016, 12 मई,2016, तथा 11 अगस्त,2016 की शर्ते यथावत लागू रहेंगी।

2- इस शासनादेश से उक्त कार्य के लिए अनुमोदित लागत के सापेक्ष पूर्ण धनराशि का आवंटन हो जाता है। कार्य को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही अवशेष धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर/ पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आहरित कर डिपाजिट कार्यों के रूप में कार्यदायी विभाग-द्वारा रेमिटेन्स लेखाशीर्ष "8782" के अन्तर्गत-सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा कर, वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-2-47/दस-97-10(9)/95, दिनांक 3 मार्च, 1997 में दिये गये निर्देशों के अनुसार डिपाजिट क्रेडिट लिमिट(डी0सी0एल0) निर्गत करके व्यय की जायेगी।

4- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2018 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2018 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2018 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

6- कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था द्वारा सम्परीक्षित लेखे अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायेंगे।

2- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-03-ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या:8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03 अगस्त,2017 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर.एन.एस.यादव)
विशेष सचिव

संख्या:16/2018/368(1)/35-4-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव / सचिव, लोक निर्माण ।
4- प्रमुख सचिव, वित्त।
5- निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी ।
6- मण्डलायुक्त, मुरादाबाद।
7- जिलाधिकारी, रामपुर।
8- मुख्य विकास अधिकारी, रामपुर।
9- वरिष्ठ कोषाधिकारी, रामपुर।
10-गार्ड फाईल।
11-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12-राज्य योजना आयोग-1
13-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, रामपुर।

आज्ञा से,

(आर.एन.एस.यादव)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in